मै0 उत्तराखण्ड टाल्क प्रा0 लि0, ग्राम–कुरोली, गैरसनेती व ठाडाईजर तहसील–दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.10.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड टाल्क प्रा0 लि0, कुरोली, गैरसनेती व ठाडाईजर तहसील–दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.449 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं (हिन्दुस्तान टाइम्स) में दिनांक 07.09.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 10.10.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदकम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2024 को पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे सुरकालीगांव स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली भवन (क्षेत्र रीमा) तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कमशः–2

तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा लोक जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 नि0 बोर्ड, हल्द्वानी व क्षेत्रीय जनता का स्वागत व अभिनन्दन कर इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना पूर्व से संचालित सोप स्टोन माईन परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना में 112 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड/सेमिमेकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा। 01 अक्टूबर,2023 से 31 दिसम्बर,2023 के भीतर बेसलाइन पर्यावरणीय परीक्षणोपरान्त क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए खनन क्षेत्र में और उसके आस–पास मिट्टी के तीन नमूने एकत्र किये गये। मिट्टी की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्डों के माध्यम से चिन्हित और अध्ययन करने पर पाया परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता (NAAQ) मानकों के भीतर है। पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पी एच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनों को खपत के लिए अनुकूल पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने अनुमन्य सीमा के भीतर हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे है। शोर की निगरानी से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में रात के समय में न्यूनतम और अधिकतम शोर का स्तर 38.0 से 43.5 डेसीबल(ए) के बीच होता है और प्रति घण्टा दिन के समय 50.2 से 54.0 डेसीबल(ए) के बीच होता है। इसलिए अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी मानवशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

क्रमशः—3

आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। ध्यान रखा जायेगा कि मजदूरों द्वारा किसी भी जानवर का शिकार न किया जाय। यदि जंगली जानवरों को को कोर जोन पार करते हुए देखा जाता है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक को त्यागने की अनुमति नहीं होगी आदि जो कोर साइट के पास जानवरों को आकर्षिक कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, झाड़ियों और जड़ी–बूटियों को उखाड़ना नहीं चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के संग्रह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगे। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट व्यय की कुल धनराशि रू0– 2.44 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पूँजीगत लागत धनराशि रू0– 7.50 (लाख में) तथा आवर्ती लागत धनराशि रू0– 5.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुय भूमि पर मानसून सत्र के दौरान मौसमी खेती जो 02–03 मांह में पूर्ण हो जाती है की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन कार्य MoEF & CC की अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। सामुदायिक प्रभाव फायदेमंद होंगे, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।

क्रमशः—4

खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका—टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः—

1. श्री धन सिंह भौर्याल, ग्राम—कुरौली तहसील— दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर— श्री धन सिंह द्वारा कहा गया कि वह खनन क्षेत्र के काश्तकार हैं तथा प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं है को बधाई देते हुए कहा गया कि खनन से राजस्व की प्राप्ति होती है तथा रोजगार का सृजन भी होता है। विभाग द्वारा लोक सुनवाई का प्राविधान किये जाने के उपरान्त भी ग्रामीणों को लोकसुनवाई की कोई भी सूचना नहीं दी गयी है प्रस्तावित खनन क्षेत्र के मात्र 03 काश्तकार लोकसुनवाई में उपस्थित हैं जबकि विभिन्न ग्राम पंचायतों के लोग लोक सुनवाई में उपस्थित हैं। प्रस्तावित परियोजना में पूर्व के वर्षों से खनन कार्य बन्द है। पट्टाधारक द्वारा स्थानीय काश्तकारों के साथ मुआवजे से संबंधित गठित अनुबन्ध के आधार पर जो भी धनराशि का भुगतान किया गया वह काश्तकारों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अध्यक्ष महोदय से इस लोक सुनवाई को विधिवत निरस्त करते हुए अगली लोक सुनवाई की तिथि से सभी काश्तकारों को सूचित करते हुए काश्तकारों की उपस्थिति में लोकसुनवाई सम्पन्न कराये जाने का अनुरोध किया गया।

तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है तथा लोकसुनवाई की तिथि से 01 मांह पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित कर निर्धारित तिथि को लोक सुनवाई आयोजित की जाती है। जिसको इस स्तर से निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं उससे बचाव हेतु सुनवाई हो रही है जिसमें उपस्थित ग्रामीणों के विचार महत्वपूर्ण हैं यह पट्टाधारक व काश्तकार के मध्य का मामला नहीं है। कृपया सभी अपना—अपना पक्ष रखें। लोक सुनवाई की अनवरत वीडियोंग्राफी की जा रही है। जिसका सक्षम स्तर द्वारा संज्ञान लिया जायेगा।

2. श्री पवन भौर्याल, ग्राम—कुरौली तहसील—दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर— श्री पवन भौर्याल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना पूर्व में वर्ष,2011—12 में संचालित हुई थी। खनन परियोजना का प्रस्तावक कौन है कुछ पता नहीं है।

क्रमशः—5

परियोजना के भागीदारों से मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक दूसरे से बात करो कह कर मुआवजा को लटकाया जा रहा है। प्रस्तावित लोक सुनवाई की सूचना सम्पूर्ण ग्रामवासियों को दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गयी। काश्तकारों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना एक फर्म के रूप में है जिसमें 03 भागीदारों की अलग–अलग हिस्सेदारी है।

3. श्री अशोक कुमार सिंह (परियोजना प्रतिनिधि)– श्री सिंह द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना के पुनः संचालित होने पर ग्रामीणों के साथ एक आम बैठक कर सभी की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
4. श्री सूरज सिंह रावत, ग्राम–दयाली कुरौली तहसील–दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री रावत द्वारा कहा गया कि पट्टाधारकों द्वारा अनुबन्ध के आधार पर वर्ष,2016–17 का मुजावजा भुगतान नहीं किया गया है। खेतों में खनन उपरान्त खेत खेती योग्य नहीं रह गये हैं। कम्पनी के भागीदारों से मुआवजा भुगतान कि बात कह जाने पर वह एक दूसरे से बात करने को कहते हैं पर मुआवजा भुगतान के संबंध में कोई नहीं सुनता है। मुआवजा भुगतान का क्या होगा यदि भुगतान नहीं होगा तो हम जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख जायेंगे। परियोजना के माध्यम से प्रस्तावित चैक डैम नहीं बनाये गये हैं। चैक डैम व रसायन विज्ञान लैब धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत वृहत रूप में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना जब पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित होगी तब परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निर्देशित किया जाता है जिसका अनुपालन पट्टाधारक को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है।
5. श्री चन्द्र मोहन, ग्राम–दयाली कुरोली तहसील–दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री चन्द्र मोहन द्वारा 4.449 है0 भूमि में खनन कार्य हेतु पोकलैण्ड मशीनों की संख्या एवं समय के संबंध में पृच्छा की गयी जिस संबंध परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि खनन क्षेत्र में मात्र जे0सी0बी0 की अनुमति ओवर बर्डन हटाने के लिये होती है खनन अधिकारी की अनुमति पर पोकलैण्ड के सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही अनुमति होती है।

तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पृच्छा की गयी कि परिवेशीय वायु की गुणवत्ता का आंकलन तो पूर्व में ही किया जा चुका है जिसमें समय के साथ वर्तमान तक परिवर्तन हो गया होगा ? इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिवेशी वायु गुणवत्ता की समयावधि 03 वर्ष होती है अग्रेतर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि मुआवजा के प्रकरणों पर ग्रामीणों के साथ खनन से पूर्व अनुबन्ध सम्पादित कर अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः–6

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर प्रभावित पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु स्वतन्त्र है। बिना अनुबन्ध के मुआवजा निर्धारण करने का अधिकार जिलाधिकारी मे निहित हैं। पट्टाधारक द्वारा मुआवजे का भुगतान प्रतिवर्ष करना चाहिए था खनन कार्य वर्ष,2015 से बन्द है मुआवजा भुगतान के संबंध में ग्रामीणों को गुमराह नहीं करना चाहिए। खनन न्यास के संबंध में अवगत कराया गया कि इस हेतु जिला स्तरीय समिति गठित है। ग्राम प्रधानों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर जिला खनन न्यास हेतु गठित समिति के सम्मुख आंगणन प्रस्तुत करना होता है। खनन न्यास के मानक कठोर हैं। खनन न्यास के बॉयलौज का अध्ययन कर ही मानकों के अनुरूप आंगणन प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही क्षेत्रान्तर्गत विकास कार्य होंगे। सी0एस0आर0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0— 2.44 (लाख में) का प्रत्येक वर्ष कार्य किया जाना है इसलिए ग्रामसभा आपसी समन्वय से यह तय कर लें कि उनको क्या—क्या कार्य कराये जाने हैं। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0— 5.10 (लाख में) का प्राविधान किया गया है। जिससे खनन क्षेत्रान्तर्गत के क्षतिग्रस्त रास्तों का पुर्ननिर्माण एवं रिटेनिंग वॉल आदि बनाये जाने हेतु रखा गया है। राज्य सरकार की भूमि में खनन निषिद्ध होगा। यदि सरकारी भूमि में खनन कार्य होता है तो इसमें अर्थदण्ड की धनराशि बहुत ही अधिक होती है। पर्यावरण के दृष्टिगत खनन उपरान्त खनन क्षेत्रान्तर्गत वृहत वृक्षारोपण करने का उत्तरदायित्व पट्टाधारक का होगा। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से कई खनन पट्टे संचालित हैं सभी पट्टेदार आपसी समन्वय से प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि से क्षेत्रान्तर्गत कोई बड़ा काम कर सकते हैं, जो बड़ा काम क्षेत्र के लोगों को दिखाई भी देगा। खनन कार्य आरम्भ करने से पूर्व काश्तकारों के साथ अनुबन्ध आवश्यक किये जाने की अपेक्षा पट्टाधारक से की गयी।

6. श्री मनोज भौर्याल, ग्राम—दयाली कुरौली तहसील—दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर— श्री भौर्याल द्वारा कहा गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई की गूले व पनघट हैं जो क्षतिग्रस्त हैं। प्लास्टिक के पाईपों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है जिला खनिज न्यास से भी इस संबंध में कोई कार्य नही हो पाया है तथा लघु सिंचाई विभाग के संज्ञान कराये जाने के उपरान्त भी क्षतिग्रस्त गूल व पनघटों का पुर्ननिर्माण कार्य न होने पर काश्तकारों को सिंचाई के समय अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रस्तावित खनन परियोजना द्वारा सी0एस0आर0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0— 2.50 (लाख में) से कोई कार्य धरातल पर दिखायी नहीं दे रहा है।

तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि सी0एस0आर0 मद में प्राविधानित धनराशि को प्रतिवर्ष व्यय किये जाने का उत्तरदायित्व पट्टेदार का है तथा उपस्थित स्थानीय लोगों से पुनः आग्रह करते हुए कहा गया कि

क्रमशः—7

जैसा कि स्थानीय ग्रामीण भिज्ञ हैं कि प्रस्तावित खनन परियोजना जो कि विगत 7—8 वर्ष से संचालित नहीं है, खनन परियोजना के संचालन के संबंध में अपने सुझाव रखें। आपसे प्राप्त सुझाव व टिप्पणीयां महत्वपूर्ण हैं जिनको सक्षम स्तर पर रखा जायेगा। तद्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि यह जन सुनवाई पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु आयोजित की गयी है। आप अपने सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति दर्ज करा सकते है।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

संलग्नक—यथोपरि।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं० उत्तराखण्ड टाल्क, प्रा०लि० ग्राम- हरिपुर मोतिया, हल्द्वानी द्वारा ग्राम- कुरौली, गैर सनेती व ठाडईजर तहसील दुगनाकुरी, जिला- बागेश्वर में सोप स्टोन माइनिंग (क्षे०-4.449 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण:—

सुनवाई स्थल:- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि- प्रातः 11:00बजे, दिनांक- 10/10/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपरजिलाधिकारी, बागेश्वर	[signature]
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधिकारी (उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी)	[signature]
3.	भरत रावत	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	चन्द्रबल्लभ जोशी	अनु० सहा० (उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी)	[signature]
5.	कुन्दन तिलवा	PA to ADM.	[signature]
6.	रामेश चौधरी	बीता	[signature]
7.	विष्णु प्रसाद	राजस्व विभाग	B.Prasad
8.	मनोहर सिंह कोरंगा	प्रधान दियाली-कुरौली	[signature]
9.	चन्द्रमोहन साह	निवासी कुरौली	[signature]
10.	सुन्दर सिंह बाफिला	बाफिला गाँव	सुन्दर सिंह
11.	नन्दा सिंह बाफिला	बाफिला गाँव	नन्दा सिंह
12.	अशोक कुमार सिंह	रैखला गाँव	[signature]
13.	पवन सिंह	कुरौली	[signature]
14.	सूरज सिंह	कुरौली	[signature]
15.	पंकज सिंह	ठाडईजर	[signature]
16.	विनोद कुमार	बीता	[signature]
17.	दीनदयाल पाण्डे	ठाडईजर	दीनदयाल
18.	दुर्गा सिंह	ठाडईजर	दुर्गा सिंह
19.	महेश गोस्वामी	सुरकाने गाँव	[signature]
20.	मदन पाण्डे	बीता	[signature]
21.	अशोक कुमार मिश्रा	बीता	[signature]
22.	हेमन्त सिंह	ठाडईजर	Hemant Singh
23.	किशननाथ गोस्वामी	R.S.I दयाली	[signature]
24.	रिहान	बाफिला गाँव	R.S
25.	सुन्दर सिंह	बाफिला गाँव	[signature]
26.	शिवराज सिंह	बीता	[signature]

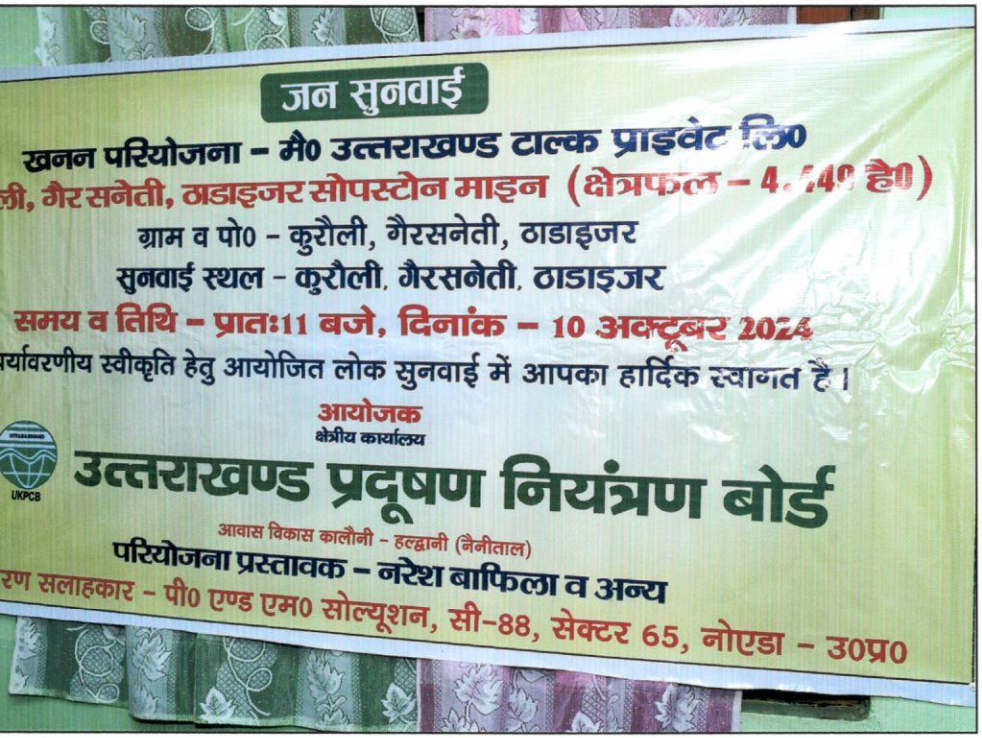
जन सुनवाई
खनन परियोजना – मै0 उत्तराखण्ड टाल्क प्राइवेट लि0
ली, गैर सनेती, ठाडाइजर सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.140 है0)
ग्राम व पो0 – कुरौली, गैरसनेती, ठाडाइजर
सुनवाई स्थल – कुरौली, गैरसनेती, ठाडाइजर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 10 अक्टूबर 2024
र्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक – नरेश बाफिला व अन्य
रण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी-88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 10 अक्टूबर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एम0 सोल्यूशन, सी-88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

K
D